मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, फैक्स– 2981055

वेबसाईट : www.mperc. in, ई–मेल : secretary @ mperc.nic.in

क्रमांकःमप्रविनिआ/डी(टी) /2023/219 दिनांक : 24 / 01 /2023

सार्वजनिक सूचना

एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपने 1200 (2 X 600) मेगावाट थर्मल पावर परियोजना अनूपपुर, मध्य प्रदेश, के लिये आयोग के 01.05.2021 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के लिये एक याचिका दायर की है । उक्त याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 {आरजी–26 (IV)/2020} के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 (1) (ए) के तहत दायर की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयोग के अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के उद्देश्य से वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार (एएफसी) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रू. करोड़ में)

विवरण	आयोग के 01.05.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
	अ	ब	ब–अ
अंशपूंजी पर प्रतिलाभ	341.09	344.70	3.61
ऋण पर ब्याज	458.69	401.66	–57.03
अवमूल्यन/अवक्षयण	393.63	396.53	2.90
प्रचालन तथा संधारण व्यय	260.52	260.52	–
कार्यशील पूंजी पर ब्याज प्रभार	96.02	85.39	–10.63
कुल वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार	**1549.95**	**1488.81**	**–61.14**
कमः गैर–टैरिफ आय	0.25	–	–0.25
शुद्ध वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार	**1549.70**	**1488.81**	**–60.89**
स्थापित क्षमता के 30% के लिए शुद्ध वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार	**464.91**	**446.64**	**–18.27**

आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 88/2022 के रूप में दर्ज कर लिया है ।

इस संदर्भ में आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की कॉपियों के साथ उनकी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, "मेट्रो प्लाजा", तल–5, ई–5 अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462 016 को इस प्रकार भेज दें कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाएं । इसकी एक कॉपी जनरल मैनेजर (थर्मल) कार्यालय, एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020 को भी भेज दें । आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम कॉपी को फैक्स और ई–मेल से भी भेजा जा सकता है ।

इच्छुक व्यक्ति' याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की कॉपी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक आयोग कार्यालय या जनरल मैनेजर (थर्मल) कार्यालय, एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020 से प्राप्त कर सकता है । इसके लिए 200 रू. नकद या एमपीईआरसी के नाम भोपाल में देय या एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नाम से नई दिल्ली में देय किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा। याचिका की कॉपी 50 रू. अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक **21.02.2023** को प्रातः 11.00 बजे किया जायेगा । इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग में भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव